[2019] 15 एस.सी.आर. 396

श्याम मदन मोहन रुइया एवं अन्य।

बनाम

मेसर होल्डिंग्स लिमिटेड और ओआरएस।

(सिविल अपील संख्या 9429 2019)

13 दिसंबर 2019

[आर भानुमति और ए.एस. बोपन्ना, जे.जे.]

सिविल प्रक्रिया संहिता (महाराष्ट्र संशोधन) अधिनियम, 2018 - धारा 9ए - पार्टियों के बीच मुकदमेबाजी के कई दौर - सूट नंबर III में, समझौता समझौता किया गया था जिसके तहत प्रतिवादी नंबर 2 के 75,001 शेयर अपीलकर्ता को हस्तांतरित किए गए थे(एस) प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा - प्रतिवादी संख्या 1 ने उक्त समझौते को रद्द करने के लिए मुकदमा संख्या IV दायर किया, अन्य बातों के साथ-साथ प्रतिवादी संख्या 2 के 75,001 शेयरों के प्रतिवादी संख्या 1 के स्वामित्व की घोषणा के लिए प्रार्थना की - अपीलकर्ताओं ने धारा के तहत हलफनामा दायर किया। 9ए, सीपीसी (महाराष्ट्र संशोधन) अधिनियम, यह तर्क देते हुए सीमा के प्रारंभिक मुद्दे को उठाता है कि प्रतिवादी नंबर 2 के 75,001 शेयरों पर स्वामित्व का दावा करने वाले मुकदमे की प्रार्थनाएं सीमा से वर्जित हैं क्योंकि अपीलकर्ताओं के बीच निपटान समझौता 05.12.02 को दर्ज किया गया था जबकि मुकदमा नंबर IV 2008 में प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा दायर किया गया था - एकल न्यायाधीश ने अपीलकर्ताओं द्वारा दायर याचिका की अनुमति दी - प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा अपील में डिवीजन बेंच ने आदेश को रद्द कर दिया - आयोजित: एस को दी गई व्याख्या के मद्देनजर। नुस्ली वेविले वाडिया बनाम आइवरी प्रॉपर्टीज और अन्य में तीन जजों की बेंच द्वारा 9ए। (2019) 13 स्केल 620 के रूप में रिपोर्ट किया गया, अन्य बातों के साथ-साथ यह मानते हुए कि किसी भी मुद्दे को केवल इस आड़ में तय नहीं किया जा सकता है कि इसे धारा 9 ए के तहत तैयार किया गया है और 2018 अधिनियम के प्रारंभ की तारीख पर विचाराधीन था, सीमा का प्रश्न होगा सूट नंबर IV में निर्णय के लिए उत्पन्न होने वाले अन्य मुद्दों के साथ विचार किया जाना चाहिए - उक्त निर्णय के मद्देनजर, एकल न्यायाधीश और डिवीजन बेंच द्वारा परिसीमा के मुद्दे पर प्रारंभिक मुद्दा मानकर दिया गया निर्णय बन जाएगा शून्यता और मामले को नए सिरे से आगे बढ़ाना होगा - एकल न्यायाधीश और डिवीजन बेंच द्वारा व्यक्त किए गए किसी भी विचार से

अप्रभावित होने के कारण मुद्दों को तैयार करने के चरण से सूट संख्या IV को नए सिरे से आगे बढ़ाना होगा - परिसीमा के प्रश्न को अन्य के साथ निर्धारित किया जाना चाहिए विचार के लिए उत्पन्न होने वाले मुद्दे - मामले की योग्यता पर कोई राय व्यक्त नहीं की गई - एकल न्यायाधीश ने सूट नंबर IV पर शीघ्रता से आगे बढ़ने और अधिमानतः 18 महीने के भीतर इसका निपटान करने का अनुरोध किया - नागरिक प्रक्रिया संहिता (महाराष्ट्र संशोधन) अधिनियम, 1977।

निपटान मामलों के बारे में, न्यायालय ने कहा:

1.1 हालांकि, कानून में बदलाव और संहिता की धारा 9ए को हटाने (महाराष्ट्र राज्य में इसके आवेदन में) के मद्देनजर मामले की योग्यता पर विभिन्न विवाद उठाए गए हैं और नुस्ली वेविले वाडिया बनाम आइवरी प्रॉपर्टीज और अन्य में सुप्रीम कोर्ट का फैसला। (2019) 13 स्केल 620, तर्कों के गुणों पर विचार करना आवश्यक नहीं है। महाराष्ट्र राज्य ने सिविल प्रक्रिया संहिता (महाराष्ट्र संशोधन) अधिनियम, 1977 के माध्यम से सिविल प्रक्रिया संहिता में धारा 9ए शामिल की। धारा 9ए में प्रावधान है कि जहां किसी मुकदमे में अंतरिम राहत देने वाले आदेश को देने या रद्द करने के लिए आवेदन किया गया है, यदि किसी भी पक्ष ने मुकदमे पर विचार करने के न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को चुनौती दी, तो न्यायालय को उपरोक्त आवेदन पर निर्णय लेने से पहले क्षेत्राधिकार के प्रारंभिक मुद्दे पर निर्णय लेना होगा। संशोधित धारा 9ए को सीपीसी महाराष्ट्र (संशोधन) अध्यादेश 2018 द्वारा 27.06.2018 से निरस्त कर दिया गया और संहिता की धारा 9ए (महाराष्ट्र राज्य में इसके आवेदन में) को अध्यादेश की धारा 3 द्वारा हटा दिया गया। उपरोक्त अध्यादेश को 29.10.2018 को सिविल प्रक्रिया संहिता (महाराष्ट्र संशोधन) अधिनियम, 2018 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। यह प्रदान किया गया था कि धारा 9ए के तहत तैयार किए गए प्रारंभिक मुद्दों को आदेश XIV सीपीसी के तहत एक मुद्दे के रूप में माना जाएगा और अदालतों द्वारा अन्य मुद्दों के साथ निर्णय लिया जाएगा जैसा कि अदालत उचित समझ सकती है। 15.12.2018 को, महाराष्ट्र राज्य ने सिविल प्रक्रिया संहिता (महाराष्ट्र संशोधन) अधिनियम, 2018 लागू किया, जिसमें एक बचत खंड प्रदान किया गया। संशोधन अधिनियम की धारा 2 में प्रावधान है कि यदि अदालत ने धारा 9ए को हटाने की तारीख से पहले किसी मुद्दे को प्रारंभिक मुद्दे के रूप में तय करने का आदेश दिया है, तो इसे अदालत द्वारा प्रारंभिक मुद्दे के रूप में तय किया जाएगा। फोरशोर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड बनाम प्रवीण डी. देसाई (मृत) कानूनी प्रतिनिधियों और अन्य (2015) 6 एससीसी 412 और कमलाकर एकनाथ सालुंखे बनाम बाबूराव विष्णु जावलकर और अन्य के माध्यम से, अलग-अलग विचारों के कारण धारा 9ए को निरस्त करने के बाद। (2015) 7 एससीसी 321, धारा 9ए जैसा कि यह था (2019) 13 स्केल

620 में तीन न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष विचार के लिए आया। माननीय तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा पारित निर्णय के अनुसार, प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दायर 2008 के सूट संख्या 2410 में निर्णय के लिए उत्पन्न होने वाले अन्य मुद्दों के साथ परिसीमा के प्रश्न पर भी विचार करना होगा। 2008 के सूट नंबर IV-2410 में मुकदमा अपनी योग्यता के आधार पर स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ना होगा। तीन न्यायाधीशों की पीठ के फैसले के मद्देनजर, विद्वान एकल न्यायाधीश के साथ-साथ डिवीजन बेंच द्वारा परिसीमा के मुद्दे पर दिए गए निर्णय को प्रारंभिक मुद्दा मानते हुए अमान्य हो जाएगा और मामले को नए सिरे से आगे बढ़ाना होगा। [पैरा 15-17,19] [403-एफ-एच; 404-ए-ई; 406-डी-ई]

1.2 निर्देश और टिप्पणियाँ: (i) 2008 के मुकदमा संख्या 2410 में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.03.2017 और वाणिज्यिक अपील संख्या में डिवीजन बेंच द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.08.2019 (19.09.2019 को संशोधित) 2008 के सूट नंबर 2410 से उत्पन्न 2017 के 148 को खारिज कर दिया गया है। (ii) प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा दायर 2008 का मुकदमा संख्या 2410, मुद्दों को तैयार करने के चरण से नए सिरे से आगे बढ़ेगा। विचार हेतु उत्पन्न होने वाले अन्य मुद्दों के साथ-साथ सीमा का प्रश्न भी निर्धारित किया जाना है। वाद को एकल न्यायाधीश के साथ-साथ उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा आक्षेपित निर्णय में व्यक्त किए गए किसी भी विचार से प्रभावित हुए बिना आगे बढ़ाया जाएगा। (iii) प्रतिवादी नंबर 1 न्यायालय से उनके लंबित आवेदनों पर विचार करने का अनुरोध करने के लिए स्वतंत्र है और विद्वान न्यायालय अपनी योग्यता के आधार पर उन पर विचार करेगा। (iv) विद्वान एकल न्यायाधीश से अनुरोध किया जाता है कि वह प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा दायर 2008 के सूट नंबर 2410 को लें और उस पर शीघ्रता से आगे बढ़ें और 18 महीने की अवधि के भीतर उसका निपटान करें। (v)यह स्पष्ट किया जाता है कि मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं की गई है। [पैरा 20] [406-एफ-एच; 407- ए-सी]

<u>विशेष अनुमति याचिका (सिविल) सं. 2019 का 26642</u>

1.3 नतीजतन, 2019 की SLP(C)No.25341 से उत्पन्न सिविल अपील में पारित आदेश के मद्देनजर, इस विशेष अनुमति याचिका का भी निपटारा किया जाता है। [पैरा 20] [407-डी]

नुस्ली वेविले वाडिया बनाम आइवरी प्रॉपर्टीज और अन्य **(2019) 13 स्केल 620 - पर भरोसा किया गया।**

मेसर होल्डिंग्स लिमिटेड बनाम श्याम मदनमोहन रुइया और अन्य **(2016) 11 एससीसी 484: [2016] 5 एससीआर 1;** फ़ोरशोर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड बनाम प्रवीण डी. देसाई (मृत) कानूनी प्रतिनिधियों और अन्य के माध्यम से **(2015) 6 एससीसी 412: [2015] 5 एससीआर 1075;** कमलाकर एकनाथ सालुंखे बनाम बाबूराव विष्णु जावलकर और अन्य **(2015) 7 एससीसी 321 - संदर्भित।**

केस कानून संदर्भ

[2016] 5 एससीआर 1 पैरा 10 को संदर्भित करता है

(2019) 13 स्केल 620 पैरा 15 पर निर्भर है

[2015] 5 एससीआर 1075 पैरा 17 को संदर्भित करता है

(2015) 7 एससीसी 321 पैरा 17 को संदर्भित करता है

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2019 की सिविल अपील संख्या 9429।

2008 के सूट संख्या 2410 में 2017 की वाणिज्यिक अपील संख्या 148 में बॉम्बे में न्यायिक उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 08.08.2019/19.09.2019 से 2019

के

एस.एल.पी. (सिविल) नंबर 26642 के साथ।

फली एस. नरीमन, डॉ. ए.एम. सिंघवी, एस. गणेश, ध्रुव मेहता, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्रीमती शैली भसीन, सुश्री मोहना, सुश्री गीताली तालुकदार, सुश्री अनुष्का अरोड़ा, सुश्री माधवी खन्ना, श्रीगेश एन.के., सुश्री अरुणा गुप्ता, सलाहकार। उपस्थित पक्षों के लिए।

कोर्ट का फैसला **आर. भानुमती, जे.** द्वारा सुनाया गया।

1. 2019 की एसएलपी (सी) संख्या 25341 में दी गई अनुमति।

2. वाणिज्यिक अपील संख्या में बॉम्बे उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.09.2019 द्वारा सही किए गए दिनांक 08.08.2019 के आदेश से व्यथित होना। 2008 के सूट नंबर 2410 में 2017 का 148 और जिसके द्वारा डिवीजन बेंच ने 16.03.2017 के विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश को उलट दिया है, जिसमें कहा गया है कि

प्रतिवादी नंबर 1- एमएचएल द्वारा दायर 2008 का सूट नंबर 2410 भीतर है परिसीमा की अवधि के दौरान, अपीलकर्ता इस अपील में इस न्यायालय के समक्ष हैं।

3. सुनवाई की पहली तारीख पर, अपीलकर्ताओं-रुइया की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री फली एस. नरीमन ने सारांश और अपील के आधारों में संशोधन करने की अनुमति मांगी। दिनांक 13.11.2019 के आदेश द्वारा इसकी अनुमति दी गयी।

4. जब मामला स्वीकारोक्ति के लिए आया, तो प्रतिवादी नंबर 1 की विद्वान वकील सुश्री अरुणा गुप्ता, जो प्रतिवादी का विरोध कर रही हैं, ने नोटिस लिया है। पहले प्रतिवादी का प्रतिनिधित्व विद्वान वरिष्ठ वकील श्री ध्रुव मेहता ने किया।

5. सुनवाई के लिए, मामले को कई तारीखों के लिए स्थगित कर दिया गया और 13.12.2019 को लिया गया। हमने श्री फली एस. नरीमन, श्री एस. गणेश और डॉ. ए.एम. को सुना है। सिंघवी, अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील और साथ ही श्री ध्रुव मेहता, प्रतिवादी नंबर 1 की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील, श्री श्रीगेश एन.के. विद्वान परामर्श.

6. सुविधा के लिए, पार्टियों को संक्षिप्त रूप में संदर्भित किया जाता है: अपीलकर्ता - रुइयास; प्रतिवादी नंबर 1 - मेसर होल्डिंग्स लिमिटेड (एमएचएल); प्रतिवादी नंबर 2 - बॉम्बे ऑक्सीजन इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड (बीओआईएल); प्रतिवादी संख्या 3 - मेसर्स गिरेशाइम जीएमबीएच (एमजीजी) और प्रतिवादी संख्या 4 - गोयल एमजी गैसेज प्राइवेट लिमिटेड (जीजीएल)।

7. चुनाव लड़ने वाले दलों के पास मुकदमेबाजी के कई दौर हैं: - (i) सिविल सूट नंबर I - 1998 का 1810, प्रतिवादी नंबर द्वारा दायर किया गया। 4 - प्रतिवादी नंबर 3 (एमजीजी) के खिलाफ जीजीएल; (2) अपीलकर्ता-रुइया द्वारा प्रतिवादी संख्या 3 (एमजीजी) और प्रतिवादी संख्या 4 (जीजीएल) के खिलाफ दायर 1999 का मुकदमा संख्या II - 2499; (3) अपीलकर्ता-रुइया द्वारा प्रतिवादी संख्या 4 (जीजीएल) और प्रतिवादी संख्या 3 (एमजीजी) के खिलाफ दायर किया गया 2001 का सूट नंबर III - 509 और (4) 2008 का सूट नंबर IV - 2410 प्रतिवादी नंबर द्वारा दायर किया गया। 1(एमएचएल) जिससे हम चिंतित हैं।

8. 2001 के सूट नंबर III - 509 में, रुइयास और एमजीजी (प्रतिवादी नंबर 3) ने 05.12.2002 को एक समझौता किया, जिसमें एमजीजी (प्रतिवादी नंबर 3) को BOIL (प्रतिवादी नंबर 3) के 75,001 शेयर हस्तांतरित करने का आरोप है। 2) और कथित तौर पर रुइयास ने

BOIL (प्रतिवादी संख्या 2) के उन 75,001 शेयरों के लिए 154.642 अमेरिकी डॉलर आदि का भुगतान करने पर सहमति व्यक्त की है। यह कहा गया है कि रुइयास (अपीलकर्ता) और एमजीजी (प्रतिवादी संख्या 3) जैसे पक्ष इस बात पर सहमत हुए हैं कि समझौते के मद्देनजर, रुइया प्रतिवादी संख्या 3 (एमजीजी) के खिलाफ कार्यवाही नहीं चलाएंगे; लेकिन वे प्रतिवादी नंबर 1 (एमएचएल) और प्रतिवादी नंबर 4 (जीजीएल) के खिलाफ अपनी कार्यवाही जारी रखेंगे।

9. प्रतिवादी नंबर 1-एमएचएल ने दिनांक 05.12.2002 के उक्त निपटान समझौते को रद्द करने के लिए 2008 का सूट नंबर IV - 2410 दायर किया, जिसके तहत प्रतिवादी नंबर 2 (BOIL) के 75,001 शेयर अपीलकर्ता को हस्तांतरित कर दिए गए हैं - रुइयास प्रतिवादी नंबर 3 (एमजीजी) द्वारा। सूट नंबर IV में, एमएचएल (प्रतिवादी नंबर 1) ने अन्य बातों के साथ-साथ एचडीआईएल नाम की एक कंपनी को विकास अधिकार देने वाले दिनांक 04.02.2008 के विकास समझौते के खिलाफ निषेधाज्ञा देने और एमएचएल प्रतिवादी नंबर 1 के 75,001 शेयरों के स्वामित्व की घोषणा के लिए प्रार्थना की। BOIL (प्रतिवादी संख्या 2) और अन्य राहतें।

10. पार्टियों के बीच विवाद सुप्रीम कोर्ट तक भी गया था और इस न्यायालय ने *मेसर होल्डिंग्स लिमिटेड बनाम श्याम मदन मोहन रुइया और अन्य (2016) 11 एससीसी 484* में रिपोर्ट किए गए मामले में मामले का फैसला किया। पार्टियों, और यह देखते हुए कि पार्टियों के अधिकारों को सूट नंबर IV में पैरा (38), (44) और (45) में स्थापित किया जाना है, सुप्रीम कोर्ट ने निम्नानुसार कहा: -

> "38। उक्त 75,001 शेयरों में एमजीजी में स्वामित्व के अस्तित्व पर जीजीएल या एमएचएल द्वारा विवाद नहीं किया जा सकता है, कम से कम, सहमति पुरस्कार की तारीख यानी 21-9-2000 तक क्योंकि उक्त शेयरों पर स्वामित्व के लिए जीजीएल और एमएचएल का दावा एमजीजी से आता है। पूर्व शीर्षक और सहमति पुरस्कार के अनुसार बाद में कथित स्थानांतरण। ऐसे मामले में, 5-12-2002 के समझौते के तहत एमजीजी द्वारा रुइया को 75,001 शेयरों में स्वामित्व के कथित हस्तांतरण के कारण, रुइया को आम तौर पर धारक के रूप में बीओसीएल के रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराने का हकदार होना चाहिए। उचित प्रक्रिया का पालन करके उक्त शेयर। यदि जीजीएल या एमएचएल रुइया के पक्ष में उक्त हस्तांतरण को प्रभावित करने के एमजीजी के अधिकार पर आपत्ति जता रहा है, तो उन्हें उक्त शेयरों में एक बेहतर शीर्षक (एमजीजी के लिए) स्थापित करना होगा। कहने की जरूरत नहीं है कि यह केवल जीजीएल या एमएचएल या दोनों द्वारा संयुक्त रूप से शुरू

की गई कुछ कानूनी कार्रवाई में ही किया जा सकता है। लेकिन वे रुइया द्वारा दायर मुकदमे II और III में अपने स्वामित्व की घोषणा की मांग नहीं कर सकते। अपना स्वामित्व स्थापित करने के लिए एमएचएल ने मुकदमा IV19 दायर किया। उक्त मुकदमे में एमएचएल का अधिकार, यदि कोई हो, तय करना होगा। जब तक उक्त मुकदमे का फैसला नहीं हो जाता, हमें कानून में ऐसा कोई आधार नहीं दिखता जिस पर जीजीएल या एमएचएल दिनांक 5-12-2002 के समझौते के अनुसार रुइया के पक्ष में शेयरों के हस्तांतरण पर आपत्ति कर सके।

44. हालाँकि, एमजीजी के अलावा किसी अन्य पार्टी में उपर्युक्त शेयरों पर आज तक किसी भी कानूनी रूप से स्थापित स्वामित्व के अभाव में, क्या रुइया, दिनांक 5-12-2002 के समझौते के अनुसार, अपना नाम दर्ज कराने के हकदार होंगे। उक्त शेयरों के धारक के रूप में बीओसीएल के रजिस्टर रुइया परिवार के लिए अन्वेषण का विषय है। हालाँकि, ऐसी पात्रता, यदि कोई हो, सूट IV के परिणाम के अधीन होनी चाहिए।

45. हम यह स्पष्ट करते हैं कि हम इस आदेश के द्वारा एमएचएल या जीजीएल के पक्ष में बीओसीएल के 75,001 शेयरों में किसी भी अधिकार के अस्तित्व या अन्यथा या इसकी प्रवर्तनीयता पर निर्णय नहीं ले रहे हैं। सूट IV में अपना अधिकार स्थापित करना उनके लिए खुला है। सूट IV में प्रतिवादी कानून और तथ्य में उपलब्ध हर बचाव को पेश करने के लिए स्वतंत्र हैं।

11. प्रतिवादी नंबर 1 (एमएचएल) द्वारा दायर 2008 के सूट नंबर IV-2410 में, अपीलकर्ताओं ने धारा 9 ए सीपीसी (महाराष्ट्र संशोधन) के तहत हलफनामा दायर किया, जिसमें दावा किया गया कि मुकदमा प्रार्थना (क्यू), (आर)), (एस), (टी), (यू) और (वी) एमएचएल (प्रतिवादी संख्या 1) द्वारा बीओआईएल (प्रतिवादी संख्या 2) के 75,001 शेयरों पर स्वामित्व का दावा करने के संबंध में निपटान समझौते के कारण सीमा से वर्जित है। अपीलकर्ताओं के बीच - रुइयास में 05.12.2002 को दर्ज किया गया था और प्रतिवादी नंबर 1 (एमएचएल) द्वारा दायर 2008 का सूट नंबर IV- 2410 वर्ष 2008 में दायर किया गया है जो स्पष्ट रूप से सीमा से वर्जित है। प्रतिवादी नंबर 1 (एमएचएल) ने उक्त हलफनामे का विरोध करते हुए कहा कि एमएचएल (प्रतिवादी नंबर 1) को रुइया और एमजीजी (प्रतिवादी नंबर 3) के बीच दिनांक 05.12.2002 को हुए समझौते के बारे में अंधेरे में रखा गया था और वही उनके साथ भी हुआ। जानकारी केवल 14.10.2005 को जब उन्हें निपटान समझौते दिनांक 05.12.2002 की प्रति सौंपी गई। प्रतिवादी

नंबर 1 ने आगे तर्क दिया कि प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा दायर मुकदमा परिसीमा अवधि के भीतर था क्योंकि उन्हें निपटान के बारे में केवल 14.10.2005 को पता चला था।

12. आदेश दिनांक 16.03.2017 द्वारा, विद्वान एकल न्यायाधीश ने अपीलकर्ताओं-रुइया द्वारा दायर याचिका को यह कहते हुए अनुमति दी कि प्रतिवादी नंबर 1 (एमएचएल) दिनांक 05.12.2002 के निपटान के लिए एक अजनबी है। विद्वान एकल न्यायाधीश ने माना कि कार्रवाई का कारण प्रतिवादी संख्या 1 (एमएचएल) के सामने 24.08.2002 को उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादी संख्या 1-एमएचएल को 1999 के सूट संख्या 2499 में प्रतिवादी के रूप में शामिल किया गया था जिसमें एमएचएल को प्रतिवादी के रूप में शामिल किया गया था। 2002 के चैंबर समन संख्या 455 दिनांक 04.10.2002 के अनुसार प्रतिवादी। विद्वान एकल न्यायाधीश ने माना कि चैंबर समन के आधार पर उस पर पारित एक आदेश के आधार पर, प्रतिवादी नंबर 1 को यह जानकारी थी कि अपीलकर्ता वर्ष 2002 में भी विवाद में शेयरों के स्वामित्व का दावा कर रहे हैं और निपटान समझौते की प्रति दिनांक 05.12.2002 को प्राप्त हुई थी। 14.10.2015 को कोई महत्व नहीं था। यह माना गया कि प्रतिवादी नंबर 1 (एमएचएल) ने 2008 का मुकदमा नंबर 2410 दायर करके केवल वर्ष 2008 में अदालत का दरवाजा खटखटाया था और इसलिए, प्रतिवादी नंबर 1 (एमएचएल) द्वारा दायर मुकदमा परिसीमा द्वारा वर्जित है।

13. विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश से व्यथित होकर, प्रतिवादी नंबर 1 (एमएचएल) ने बॉम्बे उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच के समक्ष वाणिज्यिक अपील दायर की। डिवीजन बेंच ने अपने आक्षेपित आदेश के माध्यम से विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि मुकदमा करने का अधिकार प्रतिवादी नंबर 1 को 14.10.2005 को हुआ था जब प्रतिवादी नंबर 3 के बीच दिनांक 05.12.2002 के निपटान समझौते की प्रति थी। (एमजीजी) और अपीलकर्ता-रुइयास को प्रतिवादी नंबर 1 (एमएचएल) को आपूर्ति की गई थी। डिवीजन बेंच ने माना कि चूंकि प्रतिवादी नंबर 1 को केवल 14.10.2005 को निपटान की जानकारी थी, एमएचएल-प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा वर्ष 2008 में दायर किया गया मुकदमा जानकारी की तारीख से तीन साल की अवधि के भीतर है। समझौता और, इसलिए, मुकदमा परिसीमा अवधि के भीतर है। डिवीजन बेंच ने मुकदमे में की गई अन्य सभी प्रार्थनाओं के संबंध में मुकदमा आगे बढ़ाने का निर्देश दिया। व्यथित होकर अपीलार्थी रुइया ने यह अपील दायर की है।

14. हमने अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील और प्रथम प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील की दलीलें सुनी हैं। हमने आक्षेपित निर्णय पर विचार किया है और रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्रियों का अवलोकन किया है।

15. हालाँकि, कानून में बदलाव और संहिता की धारा 9ए को हटाने (महाराष्ट्र राज्य में इसके आवेदन में) और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मद्देनजर, मामले की योग्यता पर विभिन्न विवाद उठाए गए हैं। *नुस्ली वेविले वाडिया बनाम आइवरी प्रॉपर्टीज और अन्य (2019) 13 स्केल 620*, हमारी राय है कि तर्कों के गुणों पर विचार करना आवश्यक नहीं है। कानून में बदलाव और इस न्यायालय द्वारा दी गई व्याख्या का उल्लेख करना पर्याप्त है।

16. महाराष्ट्र राज्य ने सिविल प्रक्रिया संहिता (महाराष्ट्र संशोधन) अधिनियम, 1977 के माध्यम से सिविल प्रक्रिया संहिता में धारा 9ए शामिल की। धारा 9ए में प्रावधान है कि जहां अंतरिम राहत देने वाले आदेश को देने या रद्द करने के लिए एक आवेदन किया गया है। मुकदमे में, यदि किसी भी पक्ष ने मुकदमे पर विचार करने के न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को चुनौती दी, तो न्यायालय को उपरोक्त आवेदन पर निर्णय लेने से पहले क्षेत्राधिकार के प्रारंभिक मुद्दे पर निर्णय लेना होगा। संशोधित धारा 9ए को सीपीसी महाराष्ट्र (संशोधन) अध्यादेश 2018 द्वारा 27.06.2018 से निरस्त कर दिया गया और संहिता की धारा 9ए (महाराष्ट्र राज्य में इसके आवेदन में) को अध्यादेश की धारा 3 द्वारा हटा दिया गया। उपरोक्त अध्यादेश को 29.10.2018 को सिविल प्रक्रिया संहिता (महाराष्ट्र संशोधन) अधिनियम, 2018 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। यह प्रदान किया गया था कि धारा 9ए के तहत तैयार किए गए प्रारंभिक मुद्दों को आदेश XIV सीपीसी के तहत एक मुद्दे के रूप में माना जाएगा और अदालतों द्वारा अन्य मुद्दों के साथ निर्णय लिया जाएगा जैसा कि अदालत उचित समझ सकती है। 15.12.2018 को, महाराष्ट्र राज्य ने सिविल प्रक्रिया संहिता (महाराष्ट्र संशोधन) अधिनियम, 2018 लागू किया, जिसमें एक बचत खंड प्रदान किया गया। संशोधन अधिनियम की धारा 2 में प्रावधान है कि यदि अदालत ने धारा 9ए को हटाने की तारीख से पहले किसी मुद्दे को प्रारंभिक मुद्दे के रूप में तय करने का आदेश दिया है, तो इसे अदालत द्वारा प्रारंभिक मुद्दे के रूप में तय किया जाएगा।

17. *फोरशोर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड बनाम प्रवीण डी. देसाई (मृत) कानूनी प्रतिनिधियों और अन्य (2015) 6 एससीसी 412 और कमलाकर एकनाथ सालुंखे बनाम बाबुराव विष्णु जावलकर और अन्य के माध्यम से, अलग-अलग विचारों के कारण धारा 9ए के निरसन के बाद . (2015) 7 एससीसी 321*, धारा 9ए जैसा कि यह था *(2019) 13 स्केल 620 (सुप्रा)* में

इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष विचार के लिए आया। अलग-अलग विचार जिनके कारण बड़ी बेंच ने विचार किया, वे इस प्रकार हैं:

> “इस न्यायालय की एक डिवीजन बेंच ने 17.8.2015 के आदेश के तहत फोरशोर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड में इस न्यायालय के निर्णय की शुद्धता पर संदेह करते हुए संदर्भ दिया है। वी. प्रवीण डी. देसाई (मृत) कानूनी प्रतिनिधियों और अन्य के माध्यम से, (2015) 6 एससीसी 412 नागरिक प्रक्रिया संहिता, 1908 (संक्षेप में, 'सीपीसी') की धारा 9 ए में निहित व्याख्या प्रावधानों के संबंध में जैसा कि सम्मिलित किया गया है महाराष्ट्र संशोधन अधिनियम, 1977 द्वारा। यह राय दी गई है कि धारा 9ए के तहत "क्षेत्राधिकार" शब्द सीमा के मुद्दे को शामिल करने के लिए काफी व्यापक है क्योंकि अभिव्यक्ति का उपयोग व्यापक अर्थ में किया गया है और यह आर्थिक या आर्थिक के तहत पारंपरिक परिभाषा तक सीमित नहीं है। प्रादेशिक क्षेत्राधिकार, कमलाकर एकनाथ सालुंखे बनाम बाबुरव विष्णु जावलकर और अन्य, (2015) 7 एससीसी 321 में निर्णय, विपरीत दृष्टिकोण रखते हुए, पांडुरंग धोंडी चौगुले और अन्य में बड़ी बेंच के फैसले के मद्देनजर गलत है। बनाम मारुति हरि जाधव और अन्य, एआईआर 1966 एससी 153 और साथ ही अन्य बड़ी बेंच के फैसले।"

18. विभिन्न निर्णयों और प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने निष्कर्ष को संक्षेप में प्रस्तुत किया और निम्नानुसार कहा:

> "77 (ए) उपरोक्त चर्चा को देखते हुए, हमारा मानना है कि मनोरंजन के क्षेत्राधिकार का क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटि से अलग अर्थ है उसके अभ्यास में प्रतिबद्ध. अधिकार क्षेत्र के अस्तित्व और क्षेत्राधिकार के प्रयोग के बीच अंतर है। अभिव्यक्ति क्षेत्राधिकार का उपयोग सीपीसी में विभिन्न संदर्भों में कई स्थानों पर किया गया है और यह उस संदर्भ से रंग लेता है जिसमें इसका उपयोग किया गया है। क्षेत्राधिकार का अस्तित्व संपार्श्विक कार्यवाही में आक्रमण के लिए निर्णय की स्वीकार्यता के तथ्य से परिलक्षित होता है। यदि न्यायालय के पास अधिकार क्षेत्र की अंतर्निहित कमी है, तो उसका निर्णय निरर्थक माना जा सकता है। सीमा के कानून द्वारा बनाए गए बार के मुद्दों पर निर्णय लेते समय, न्यायालय के पास इन मुद्दों पर निर्णय लेने का अधिकार क्षेत्र होना चाहिए। धारा 9ए और आदेश XIV नियम 2 के प्रावधानों के तहत, यदि यह पूरी तरह से कानून का प्रश्न है, न कि साक्ष्य दर्ज करके कानून और तथ्य का मिश्रित प्रश्न है, तो प्रारंभिक मुद्दों पर निर्णय लेना खुला

है। फ़ोरशोर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड (सुप्रा) के निर्णय को सही ढंग से कानून बनाने वाला नहीं कहा जा सकता है। हमने उसमें उल्लिखित निर्णयों पर विचार किया है, वे विभिन्न संदर्भों में हैं। मेहर सिंह (सुप्रा) मामले में बॉम्बे उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के फैसले को खारिज कर दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि धारा 9ए के तहत किसी मुकदमे/क्षेत्राधिकार के तहत मुकदमा चलाने का मुद्दा यदि आवश्यक हो तो साक्ष्य दर्ज करके और उचित निर्णय द्वारा तय किया जा सकता है। हमारा मानना है कि कमलाकर शांताराम (सुप्रा) में निर्णय सही ढंग से लिया गया है और इसे गलत नहीं कहा जा सकता, जैसा कि फोरशोर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड (सुप्रा) में हुआ था।

77.(बी) महाराष्ट्र द्वितीय संशोधन अधिनियम, 2018 की धारा 2 जो यह प्रावधान करती है कि जहां धारा 9ए के तहत तैयार किए गए प्रारंभिक मुद्दे पर विचार सीपीसी की शुरुआत की तारीख पर लंबित है, उक्त मुद्दे का निर्णय और निपटान अदालत द्वारा किया जाएगा। धारा 9ए, मानो धारा 9ए के तहत प्रावधान हटाया नहीं गया है, कानूनी परिदृश्य को नहीं बदलता है कि धारा 9ए, सीपीसी के तहत प्रारंभिक मुद्दे के रूप में क्या निर्णय लिया जा सकता है, जैसा कि महाराष्ट्र में लागू है। <u>धारा 2 के प्रावधान द्वारा बनाई गई बचत जहां धारा 9 ए के तहत तैयार किए गए प्रारंभिक मुद्दे पर विचार नागरिक प्रक्रिया संहिता (महाराष्ट्र संशोधन) अधिनियम, 2018 की शुरुआत की तारीख पर लंबित है, केवल तभी तय किया जा सकता है जब यह मापदंडों के भीतर आता है धारा 9ए की व्याख्या पर हमारे द्वारा पाया गया। हम दोहराते हैं कि किसी भी मुद्दे का निर्णय केवल इस प्रावधान की आड़ में नहीं किया जा सकता है कि इसे धारा 9ए के तहत तैयार किया गया है और (महाराष्ट्र संशोधन) अधिनियम, 2018 के प्रारंभ होने की तारीख पर विचाराधीन था। संदर्भ का उत्तर तदनुसार दिया गया है।</u> [रेखांकित करते हुए जोड़ा गया]

मामलों को गुण-दोष के आधार पर विचार के लिए उचित पीठ के समक्ष रखा जाना चाहिए।"

19. *2019 (13) स्केल 620 - नुस्ली वेविल वाडिया बनाम आइवरी प्रॉपर्टीज और अन्य* में माननीय तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा पारित फैसले के मद्देनजर, सीमा के प्रश्न पर अन्य मुद्दों के साथ विचार करना होगा। प्रतिवादी नंबर 1 (एमएचएल) द्वारा दायर 2008 के सूट नंबर 2410 में निर्णय के लिए उत्पन्न हुआ। मामले की गुणवत्ता और पक्षों के विवाद पर विद्वान एकल न्यायाधीश के साथ-साथ डिवीजन बेंच द्वारा कुछ टिप्पणियाँ की गई हैं। हमारे विचार में, 2008 के सूट नंबर IV-2410 में मुकदमे को अपनी योग्यता के आधार पर स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ाया

जाना चाहिए। तीन न्यायाधीशों की पीठ के फैसले के मद्देनजर, विद्वान एकल न्यायाधीश के साथ-साथ डिवीजन बेंच द्वारा परिसीमा के मुद्दे पर दिए गए निर्णय को प्रारंभिक मुद्दा मानते हुए अमान्य हो जाएगा और मामले को नए सिरे से आगे बढ़ाना होगा।

20. अपील का निपटारा निम्नलिखित निर्देशों और टिप्पणियों के साथ किया जाता है:

(i) 2008 के वाद संख्या 2410 में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.03.2017 और आदेश दिनांक 08.08.2019 (19.09.2019 को संशोधित) 2008 के सूट नंबर 2410 से उत्पन्न 2017 की वाणिज्यिक अपील संख्या 148 में डिवीजन बेंच द्वारा पारित किए गए फैसले को रद्द कर दिया गया है।

(ii) प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा दायर 2008 का मुकदमा संख्या 2410, मुद्दों को तैयार करने के चरण से नए सिरे से आगे बढ़ेगा। विचार हेतु उत्पन्न होने वाले अन्य मुद्दों के साथ-साथ सीमा का प्रश्न भी निर्धारित किया जाना है। वाद को एकल न्यायाधीश के साथ-साथ उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा आक्षेपित निर्णय में व्यक्त किए गए किसी भी विचार से प्रभावित हुए बिना आगे बढ़ाया जाएगा।

(iii) प्रतिवादी नंबर 1 न्यायालय से उनके लंबित आवेदनों पर विचार करने का अनुरोध करने के लिए स्वतंत्र है और विद्वान न्यायालय अपनी योग्यता के आधार पर उन पर विचार करेगा।

(iv) हम विद्वान एकल न्यायाधीश से अनुरोध करते हैं कि वे प्रतिवादी नंबर 1 (एमएचएल) द्वारा दायर 2008 के सूट नंबर 2410 को लें और उस पर शीघ्रता से आगे बढ़ें और 18 महीने की अवधि के भीतर उसका निपटान करें।

(v) हम यह स्पष्ट करते हैं कि हमने मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं की है।

<u>विशेष अनुमति याचिका (सिविल) सं. 2019 के 26642</u>

परिणामस्वरूप, 2019 की एसएलपी (सी) संख्या 25341 से उत्पन्न सिविल अपील में पारित आदेश के मद्देनजर, इस विशेष अनुमति याचिका का भी निपटारा किया जाता है।

आशीष तिवारी द्वारा अनुवादित।